<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 1065 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-29 / 12 / 14</u> <u>फाईलिंग नं. 233504003382014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- सचिन पिता राजेन्द्र, उम्र 20 वर्ष, निवासी बढ़ई मोहल्ला आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- 2. प्रशान्त पिता राकेश बिहारिया, उम्र 21 वर्ष.
- 3. दुर्गेश उर्फ नब्बू पिता रमेश साहू, उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी निवासी सोनी मोहल्ला आमला थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 20.04.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 457, 380 भा0दं०सं० के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04, 05.11.2014 की दरम्यानी रात सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व किसानलाल साहू का मकान आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी तुलाराम साहू के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, उसे उपहित कारित करने की या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध या चोरी करने के आशय से प्रवेश करके रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया तथा फरियादी के आवास गृह से नगदी 10—20 के नोट करीब 5,000/— रूपये, चिल्लर 7,000/— रूपये, इलायची दो किलो कुल कीमती 14,000/— रूपये चुराये।
- 2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अपचारी बालक मोन्टी उर्फ प्रिंस की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसके विरूद्ध बाल न्यायालय में पृथक से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी तुलाराम ने दिनांक 05.11.2014 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी

कि वह किसनलाल के मकान में किराये की दुकान में दुकानदारी करता है। कल रात करीब 9.30 बजे वह अपनी दुकान बंद कर अपने घर आ गया था। दूसरे दिन उसने जब अपनी दुकान खोली तो दुकान की खिड़की टूटी हुई दिखी जिस पर उसे शंका हुई तो उसने ड्राज में देखा तो सात हजार रूपये की चिल्लर, पांच हजार रूपर्ये 10-20 के नोट तथा पन्नी में रखी दो किलो इलायची नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर रात्रि दिनांक 4, 5.11.2014 की दरम्यानी रात में दुकान में घुसकर उक्त सामान चोरी कर ले गया है। फरियादी दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अज्ञात के विरूद्ध अपराध क. 924 / 14 में धारा 457, 380 भा.दं.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्तगण का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेंडम लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त दुर्गेश से एक हरे रंग की पॉलीथिन में रखे 10-10 के नोट कुल तीन हजार रूपये, अभियुक्त प्रशांत से एक गुलाबी रंग की थैली में आधा किलो इलायची, दो देसाई बीड़ी के बंडल, करीब दो किलो सौफ, कुल कीमती करीब 1100 / — रूपये तथा अभियुक्त सचिन से पांच के 122 नग सिक्के कुल 610 रूपये, लगभग चार किलो कटी हुई सुपारी, दो पैकेट बीड़ी के बिंडल कुल कीमती करीब 2500/- जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र निराकरण हेतू न्यायालय मे पेश किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04, 05.11.2014 की दरम्यानी रात सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व किसानलाल साहू का मकान आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी तुलाराम साहू के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, उसे उपहित कारित करने की या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध या चोरी करने के आशय से प्रवेश करके रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया तथा फरियादी के आवास गृह से नगदी 10—20 के नोट करीब 5,000/— रूपये, चिल्लर 7,000/— रूपये, इलायची दो किलो कुल कीमती 14,000/— रूपये चुराये ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

11 विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।। विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 तुलाराम साहू (अ.सा.—3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। घटना उसकी किराना दुकान की रात के समय की है। दूसरे दिन जब उसने अपनी दुकान खोली तो देखा कि दुकान की ज्ञाज से सात हजार रूपये की चिल्लर, पांच हजार रूपये नगद और इलायची की पन्नी कोई चुराकर ले गया है जिसकी उसने रिपोर्ट थाने में की थी जो कि प्रदर्श पी—9 है। जी.एस. ठाकुर (अ.सा.—7) ने फरियादी की रिपोर्ट पर से दिनांक 05.11.2014 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—9) लेख किया जाना बताया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी तुलाराम साहू की किराना दुकान से नगद रूपये एवं सामान इलायची की चोरी हुई थी।

- नीतेश साहू (अ.सा.—1), राजा साहू (अ.सा.—2) ने अभियोजन का किचिंत मात्र समर्थन नहीं किया है तथा अपने समक्ष अभियुक्त प्रशांत एवं सचिन से पूछताछ किये जाने, उनसे जप्ती किये जाने एवं उनकी गिरफ्तारी से इनकार करते हुए मेमोरेंडम प्रदर्श पी—1, 2 जप्ती प्रदर्श पी—3, 4 एवं गिरफ्तारी प्रदर्श पी—5, 6 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साक्षी रोशन (अ.सा.—4), मोहित (अ.सा.—5), रोहित (अ.सा.—6) ने भी अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। साक्षी मोहित (अ.सा.—5) एवं रोहित (अ.सा.—6) ने अपने समक्ष अभियुक्त दुर्गेश से पूछताछ एवं उससे किसी प्रकार की जप्ती तथा उसकी गिरफ्तारी से इनकार किया है तथा मेमोरेंडम प्रदर्श पी—12 एवं जप्ती प्रदर्श पी—14 तथा गिरफ्तारी प्रदर्श पी—13 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। साक्षी रोशन (अ.सा.—4) ने अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर अपने समक्ष अभियुक्त सचिन से किसी भी प्रकार की जप्ती से इनकार किया है।
- 8 जी.एस. ठाकुर (अ.सा.—7) ने दिनांक 05.11.2014 को पुलिस थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध प्रदर्श पी—9 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना तथा दिनांक 05.11.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श पी—10) तैयार किया जाना तथा दिनांक 07.11.2014 को अभियुक्त प्रशांत के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी—1) अभियुक्त सचिन के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी—2) लेखबद्ध किया जाना तथा अभियुक्त प्रशांत एवं सचिन को गिरफतार कर प्रदर्श पी—5 एवं प्रदर्श पी—6 का गिरफतारी पत्रक तैयार किया

जाना प्रकट किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने दिनांक 14.11. 2014 को अभियुक्त दुर्गेश उर्फ नब्बू के मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श पी–12) लेख कर उसे गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी–14) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उक्त समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

- 9 नीतेश साहू (अ.सा.—1), राजा साहू (अ.सा.—2), मोहित (अ.सा.—5), रोहित (अ.सा.—6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पुलिस द्वारा उनसे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये गये थे। फरियादी तुलाराम साहू (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने चोरी की घटना नहीं हुई थी तथा उसने रिपोर्ट लिखाते समय किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। विवेचक साक्षी जी.एस. ठाकुर (अ.सा.—7) से प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्नपूछे गये हैं जिससे साक्षी के द्वारा की गयी विवेचना कार्यवाही प्रमाणित होती है।
- मेमोरेंडम एवं जप्ती के साक्षी नितेश साहू (अ.सा.-1), राजा साहू (अ.सा.-2), मोहित (अ.सा.-5) एवं रोहित (अ.सा.-6) ने मेमोरेंडम एवं जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। जप्ती के प्रपत्र अपने आप में साक्ष्य नहीं है. जब तक कि उनके कथनों को प्रमाणित न करवाया जाये। इस संबंध में न्याय दृष्टांत *श्रवण विरूद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2006(2) ए.एन.जे.एम.पी. 235* अवलोकनीय है। प्रकरण में विवेचक साक्षी जी.एस. ठाकूर (अ.सा.-7) ने अपने परीक्षण में अभियुक्त प्रशांत से एक इलायची रखी पन्नी, बीड़ी के बंडल, एक पन्नी में दो किलो सौंप जप्त करना बताया है तथा अभियुक्त सचिन से पांच रूपये के 122 नग सिक्के जप्त करना एवं चार किलो सुपारी व बीड़ी के पैकेट जप्त करना बताया है तथा अभियुक्त दुर्गेश से 10-10 रूपये के नोट की गड्डी कुल तीन हजार रूपये जप्त करना बताया है परंतू उपर्युक्त साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर किस जगह से सामान जप्त किया गया। इस प्रकार जप्ती एवं मेमोरेंडम के कथनों को साक्षियों के साथ-साथ विवेचक साक्षी ने भी प्रमाणित नहीं किया है और न ही विवेचक साक्षी के द्वारा शिनाख्ती की कार्यवाही करवायी गयी है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी की दुकान से रूपये एवं अन्य सामान हटाकर चोरी की गयी।
- 11 प्रकरण में फरियादी तुलाराम साहू (अ.सा.—3) के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट लेख करायी गयी है। घटना फरियादी की दुकान की है। जिस समय घटना घटित हुई फरियादी अपनी दुकान पर नहीं था। ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्तगण के द्वारा चोरी किया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है तब यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा चोरी करने के आशय से रात्रो प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृह भेदन किया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी तुलाराम साहू के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, उसे उपहित कारित करने की या कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध या चोरी करने के आशय से प्रवेश करके रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया तथा फरियादी के आवास गृह से नगदी 10—20 के नोट करीब 5,000/— रूपये, चिल्लर 7,000/— रूपये, इलायची दो किलो कुल कीमती 14,000/— रूपये चुराये। फलतः अभियुक्तगण सचिन, प्रशान्त, दुर्गेश उर्फ नब्बू को भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 13 प्रकरण में जप्तशुदा 10—10 के नोट कुल तीन हजार रूपये, आधा किलो इलायची, दो देसाई बीड़ी के बंडल, करीब दो किलो सौफ, पांच के 122 नग सिक्के कुल 610 रूपये, लगभग चार किलो कटी हुई सुपारी, दो पैकेट बीड़ी के बिंडल फरियादी तुलाराम पिता सुखनन्दन साहू, निवासी आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।
- 14 अभियुक्तग पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)